भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 665

04 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

आधिकारिक युद्ध इतिहास का प्रकाशन

665. डॉ. शशि थरूर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के इतिहास प्रभाग ने पांच वर्षों के समय में पुनरीक्षित अवर्गीकृत अभिलेखों से आधिकारिक युद्ध इतिहास का प्रारूप तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए नौकरशाहों के एक पैनल का गठन किया है या करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारी 'आधिकारिक संकलन' बना सकते हैं जिससे लोग ऐतिहासिक घटनाओं को समझ सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पैनल में प्रमुख सैन्य इतिहासकारों की आवश्यकता है, जिनके कार्यक्षेत्र की दक्षता और अधिक प्रामाणिकता सुनिश्चित करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अवर्गीकरण, संकलन, प्रकाशन और युद्ध के अभिलेखों का संग्रह करने संबंधी नई नीति का ब्यौरा क्या है और पब्लिक रिकार्ड नियम 1997 की महत्वपूर्ण अवर्गीकरण प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रक्षा संगठन एक स्वचालित एक समान प्रणाली लागू करेंगे ताकि हर पांच साल में युद्ध के अभिलेखों को, जब तक वे अपने 25वें वर्ष में अवर्गीकृत नहीं हो जाते, वर्गीकृत, संरक्षित और अवर्गीकृत किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) से (ग): अभिलेखीकरण, अवर्गीकरण की प्रक्रिया तथा युद्ध/संचालन के इतिहास के संकलन/प्रकाशन की नीति को जून, 2021 में प्रख्यापित किया गया था, जिससे युद्ध/संचालनों के इतिहास के संकलन को सुगम बनाने हेतु एक समिति का प्रावधान रखा गया है । इसके अतिरिक्त, आवश्यकता के आधार पर समिति में प्रमुख सैन्य इतिहासकार को सम्मिलित करने का भी प्रावधान किया है ।

(घ): 'अभिलेखीकरण, अवर्गीकरण की प्रक्रिया तथा युद्ध/संचालन के संकलन/प्रकाशन पर भारत सरकार की नीति' की प्रति अनुबंध पर रखी है ।

(ङ) एवं (च): वर्गीकृत रिकार्डों के अवर्गीकरण की जिम्मेदारी रिकार्डों के प्रवर्तकों या रिकार्ड बनाने वाली एजेंसियों की होती है, जैसा कि समय-समय पर यथा संशोधित पब्लिक रिकार्ड अधिनियम, 1993 तथा पब्लिक रिकार्ड नियम, 1997 में विनिर्दिष्ट है । इस नीति के उद्देश्य हेतु अभिलेखों को सामान्यतया अवर्गीकृत किए जाने की अवधि 25 वर्ष है ।

*****

'आधिकारिक युद्ध इतिहास का प्रकाशन' के बारे में लोक सभा में दिनांक 04 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 665 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

फा.सं.आईडीएस/43019/I/टीआरएडीओसी/टीएंडपी/डब्ल्यूएच(पीसी-I)

रक्षा मंत्रालय

डी(जीएस-II)

कमरा सं. 112, सेना भवन
नई दिल्ली - 110011

दिनांक 17 जून, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: युद्ध/संचालन इतिहास के अभिलेखीकरण, अवर्गीकरण एवं संकलन के संबंध में नीति ।

मुझे रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध/संचालन इतिहास के अभिलेखीकरण, अवर्गीकरण एवं संकलन/प्रकाशन की नीति के संबंध में माननीय रक्षा मंत्री का अनुमोदन सूचित करने का निदेश हुआ है । युद्ध/संचालन इतिहास के अभिलेखीकरण, अवर्गीकरण एवं संकलन/प्रकाशन, समिति का संघटन, युद्ध/संचालन इतिहास के संकलन एवं प्रकाशन की समय-सीमा जैसे विवरण से युक्त अनुमोदित नीति इसके साथ संलग्न है ।

2. अभिलेखों के अवर्गीकरण की जिम्मेदारी संबंधित संगठनों की है जैसा कि समय-समय पर यथा संशोधित पब्लिक रिकार्ड अधिनियम, 1993 तथा पब्लिक रिकार्ड नियम, 1997 में विनिर्दिष्ट है । इस नीति के अनुसार अभिलेखों को सामान्यतया अवर्गीकृत किए जाने की अवधि 25 वर्ष है । 25 वर्ष से पुराने अभिलेखों का मूल्यांकन अभिलेख के विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए और युद्ध/संचालन इतिहास का संकलन हो जाने के बाद उसे भारत के राष्ट्रीय लेखागार में हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए ।

3. युद्ध/संचालन इतिहास का संकलन, अनुमोदन प्राप्त करते समय और प्रकाशन के समय इतिहास प्रभाग विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेवार होगा । इस नीति में संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का अधिदेश है जिसमें युद्ध/संचालन इतिहास का संकलन करने के लिए सेनाओं, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि तथा ख्यातिप्राप्त सैन्य इतिहासकार (यदि आवश्यक हो) होंगे ।

4. इस नीति में युद्ध/संचालन इतिहास का संकलन और प्रकाशन के संबंध में स्पष्ठ समय-सीमा भी निर्धारित की गई है । उपर्युक्त समिति युद्ध/संचालन पूरा होने के दो वर्षों के भीतर गठित की जानी चाहिए । तत्पश्चात अभिलेखों का संग्रहण और संकलन तीन वर्षों में पूरा किया जाना चाहिए तथा सभी संबंधितों में प्रसारित किया जाना चाहिए ।

5. इस संबंध में अनुमोदित नीति सूचना एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी हितधारकों में एतद्वारा परिचालित की जाती है ।

ह0/-
(रघुनंदन सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दुरभाष.23012938
ईमेल:-raghunandan.singh@nic.in

संलग्नक: यथोक्त

सेवा में,

1. सचिव, विदेश मंत्रालय
2. सचिव, गृह मंत्रालय
3. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एमए
4. चीफ ऑफ एयर स्टाफ के एमए
5. चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के एनए
6. महानिदेशक, असम राइफल्स
7. महानिदेशक, तट रक्षक बल
8. महानिदेशक, भारत का राष्ट्रीय लेखागार
9. निदेशक, इतिहास प्रभाग
10. मुख्यालय, आईडीएस

रक्षा मंत्रालय द्वारा अभिलेखीकरण, अवर्गीकरण तथा युद्ध/संचालनों के संकलन/प्रकाशन की प्रक्रिया पर भारत सरकार की नीति

अभिलेखीकरण

1. (क) रक्षा मंत्रालय तथा सैन्य बलों के इतिहास/संचालन/युद्ध रिकार्डों के अभिलेखीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय का इतिहास प्रभाग तथा संबंधित मंत्रालय/विभागों के रिकार्ड कक्ष उत्तरदायी होंगे ।

(ख) रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालयों, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, असम राइफल्स, मुख्यालय तट रक्षक या भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत गठित कोई भी संगठन (इसके बाद में रिकार्ड बनाने वाली एजेंसियों के रूप में संदर्भित) युद्ध डायरियों/कार्यवाही के पत्रों/संचान संबंधी रिकार्ड पुस्तकों के साथ प्रशिक्षण, जनशक्ति, प्रापण/खरीद इत्यादि सहित एतिहासिक/संचालन/युद्ध रिकार्डों को इतिहास प्रभाग (रक्षा मंत्रालय) को अपने इतिहास प्रकोष्ठ/प्रभाग/नामित शाखा/सेना निदेशालयों के मुख्यालयों को इतिहास लिखने और उचित रख-रखाव के माध्यम से स्थानांतरित करेंगे । संबंधित सेना मुख्यालय/अन्य रिकार्ड बनाने वाली एजेंसियां कुछ वर्गीकृत दस्तावेजों को तब तक अपने पास रख सकती हैं जब तक यह महसूस नहीं किया जाता कि यह सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती है । रिकार्डों को हार्ड और साफ्ट कापी दोनों रूपों में अग्रेषित किया जाएगा । साफ्ट प्रतियों को गैर संपादन योग्य प्रारूप में होनी चाहिएं जैसे पीडीएफ आदि, या स्कैन की गई प्रतियों के रूप में जमा किया जाना चाहिए । सभी रिकार्ड बनाने वाली एजेंसियों को संरक्षण के लिए निर्धारित अभिलेखों की एक शाखा-वार सूची को बनाए रखना है और इसकी एक प्रति संबंधित मंत्रालय/सेवा रिकार्ड रूम/एतिहासिक अनुभागों को भेजना है ।
शून्य विवरण अस्वीकार्य है ।

अवर्गीकरण

2. वर्गीकृत अभिलेखों के अवर्गीकरण की जिम्मेदारी अभिलेखों के सृजनकर्ता अथवा अभिलेख सृजन एजेंसियों की है जैसा कि समय-समय पर यथा संशोधित पब्लिक रिकार्ड अधिनियम, 1993 तथा पब्लिक रिकार्ड नियम, 1997 में विनिर्दिष्ट है । इस नीति के प्रयोजनार्थ समयावधि जिसके भीतर अभिलेखों को सामान्यतया अवर्गीकृत किया जाना चाहिए, 25 वर्ष है । लंबी अवधि के लिए अभिलेखों को वर्गीकृत रखना नियम के बजाय एक अपवाद हो सकता है और इस प्रकार रखे गए प्रत्येक अभिलेख के साथ इसे रोक कर रखने के कारणों को बताते हुए विस्तृत औचित्य संलग्न किया जाना चाहिए । 25 वर्ष से पुराने अभिलेखों का मूल्यांकन अभिलेख के विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए और युद्ध/संचालन इतिहास का संकलन हो जाने के बाद उसे भारत के राष्ट्रीय लेखागार में हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए ।

युद्ध/संचालन इतिहास का संकलन/प्रकाशन

3. रक्षा मंत्रालय का इतिहास प्रभाग युद्ध/संचालन इतिहास का संकलन और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है । यदि बाह्य एजेंसी/प्रख्यात इतिहासकार (इतिहासकारों) को आउटसोर्स किया जाता है तो निदेशक, इतिहास प्रभाग, रक्षा मंत्रालय सदस्य सचिव होगा ।

समन्वय

4. इतिहास विभाग, रक्षा मंत्रालय युद्ध / संचालन इतिहास को संकलित करने , स्वीकृति प्राप्त करने और प्रकाशित करने के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय के लिए जवाबदेह होगा ।

समिति की संरचना

5. (i) युद्ध/संचालन इतिहास के संकलन के लिए समिति की संरचना निम्न प्रकार से हैः-

(क)	संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय (इतिहास प्रभाग के प्रभारी)	- अध्यक्ष
(ख)	निदेशक, इतिहास प्रभाग (रक्षा मंत्रालय अथवा विख्यात इतिहासकार) यदि आउटसोर्स किया गया हो	- मुख्य संपादक
(ग)	सभी सेना मुख्यालयों के सेवारत प्रतिनिधि	- सदस्य
(घ)	विदेश मंत्रालय (एमईए), गृह मंत्रालय (एमएचए) और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि (आवश्यकतानुसार)	- सदस्य
(ङ)	प्रख्यात सैन्य इतिहासकार (यदि आवश्यक हो)	- सदस्य
(च)	निदेशक, इतिहास प्रभाग, रक्षा मंत्रालय	- सदस्य सचिव

(जब इतिहास का संकलन आउटसोर्स किया जाए)

(शासकीय गुप्त बात अधिनियम-1923)

6. समिति के सभी नामांकित सदस्य शासकीय गुप्त बात अधिनियम-1923 द्वारा अभिशासित होंगे ।

युद्ध /संचालन इतिहास

7. वर्गीकृत अभिलेखों पर आधारित संकलित युद्ध/ संचालन इतिहास पर उपयुक्त सुरक्षा वर्गीकरण 'गोपनीय अथवा निम्नतर वर्गीकरण ' अंकित होगा । एक बार तैयार हो जाने पर उक्त इतिहास की एक प्रति सभी हितधारकों को प्रासंगिक अध्यायों को अंकित करने के लिए अग्रेषित की जाएगी । इतिहास को जितना शीघ्र संभव हो और संकलन की तिथि से 25 वर्ष होने से पूर्व गुप्त सूची से हटा लेना चाहिए ।

युद्ध/संचालन इतिहास के संकलन/प्रकाशन के लिए समय सीमा

8. युद्ध/सं चालन इतिहास के संकलन/प्रकाशन के लिए समय सीमा निम्न रूप में होगीः

युद्ध/संचालन इतिहास का संकलन/प्रकाशन		
कार्य	**अवधि**	**टिप्पणी**
युद्ध/संचालन इतिहास को संकलित करने के लिए समिति का गठन, मुख्य संपादक की नियुक्ति यदि आउटसोर्स किया जाए ।	दो ** वर्ष	- युद्ध/संचालन / सैन्य अभियान/ युद्ध विराम के समापन के दो वर्षों के भीतर
युद्ध/संचालन इतिहास का संकलन	तीन ** वर्ष (2-5 वर्ष)	- ऐतिहासिक / संचालन और प्रासंगिक गैर संचालन / युद्ध अभिलेख समेत भागीदारों और हितधारकों के साक्षात्कार आदि का संकलन । - युद्ध / संचालन इतिहास का संकलन । - युद्ध/ संचालन इतिहास के सभी हितधारकों और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा विधीक्षा । - सुझाए गए परिवर्तनों,

		संपादन का समावेशन और युद्ध/ संचालन इतिहास को अंतिम रूप देना ।
संकलित किए गए युद्ध / संचालन इतिहास का अनुमोदन और प्रचार-प्रसार	01 वर्ष	- इतिहास प्रभाग द्वारा संकलित किए गए युद्ध/ संचालन इतिहास की एक प्रति सभी हितधारकों को अग्रेषित की जाएगी (कार्यालयी उपयोग के लिए) ।
अवर्गीकरण	प्रत्येक तीन वर्ष पर समीक्षा/ 25 वर्ष होने से पूर्व अवर्गीकरण	- हितधारकों और संबंधित एजेंसियों द्वारा संकलित युद्ध / संचालन इतिहास के अवर्गीकरण की समीक्षा ।
युद्ध/ संचालन इतिहास को प्रकाशित करना	01 वर्ष	- सेना मुख्यालयों द्वारा प्रकाशन के लिए अनापत्ति । - इतिहास प्रभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध /संचालन इतिहास को प्रकाशित करना (अनापत्ति के एक वर्ष के भीतर) ।

** अपरिहार्य परिस्थितियों के मामले में युद्ध/ संचालन इतिहास को संकलित करने के लिए समिति के गठन /मुख्य संपादक की नियुक्ति को सेना मुख्यालयों/मुख्यालय आईडीएस के अनुरोध पर दो वर्षों के लिए आस्थगित किया जा सकता है । इसके परिणामस्वरूप सभी समय-सीमाओं में दो वर्षों का विलंब होगा ।